

न्यायालय माध्यस्थम (जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट), जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 26 / 2022

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

1- भंवरलाल पुत्र कौशलाराम  
उर्फ कोलाराम जाति जाट  
निवासी ग्राम सिधोल नगर,  
तहसील बापिणी जिला  
जोधपुर।

1- भारत संघ जरिये सचिव, सड़क  
एवं परिवहन मंत्रालय भारत  
सरकार, नई दिल्ली।

2- परियोजना निदेशक, भारतीय  
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,  
परियोजना क्रियान्वन इकाई,  
188 उम्मेद हेरिटेज, रातानाडा  
जोधपुर।

3- सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति)  
एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां  
जिला जोधपुर।




आर्बीट्रेशन प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ(5), राष्ट्रीय  
राजमार्ग अधिनियम, 1956, एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग  
(संशोधन) अधिनियम, 1997 सपटित धारा 21, माध्यस्थम  
और सुलह अधिनियम, 1996

उपस्थिति

आदेश दिनांक : 10.07.2023

1- श्री मनोहरसिंह राठौड़ अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष )

2- श्री लादुराम पूनीया अधिवक्ता( अप्रार्थीपक्ष-2)

  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जोधपुर


3- अप्रार्थीपक्ष 1 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

## पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांक: NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिले की स्थानीय सीमा में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थम् (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भारतमाला परियोजना (लॉट-4/पैकेज-6) के अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर-कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 754 के 261.743 किमी से 349.773 किमी (औसियां) तक (चार लेन मय पेव्ड शोल्डर) के निर्माण हेतु ग्राम सियोल नगर तहसील बापिणी जिला जोधपुर स्थित विभिन्न खसरो की भूमि के साथ खसरा नम्बर 746 रकबा 0.7002 हेक्टर भूमि को भारत सरकार के द्वारा अवाप्त करने के आशय की घोषणा हेतु धारा 3ए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 20.08.2018 एवं 3(डी) की अधिसूचना दिनांक 07.01.2019 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया गया एवं स्थानीय समाचार पत्र यथा राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर जोधपुर संस्करण में प्रकाशन करवाया गया तथा हितवद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां/एतराज आमंत्रित किये गये। उक्त आपत्तियों का निस्तारण दिनांक 01.03.2019 को किया गया। उक्त भूमि के संबंध में मुआवजा का निर्धारण कर 6,18,841/- रुपये का बनाया गया। प्रार्थीपक्ष के ख.नं. 4.13 बीघा भूमि में से 13 बिस्वा भूमि बची है जिसमें ट्यूबवेल बना हुआ है परन्तु भूमि शेष नहीं बचने से नककूप अनुपयोगी हो गया तथा उसे स्थानान्तरित भी नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थीपक्ष की खसरा नम्बर 746 में बने नलकूप का मुआवजा दिया जाना न्यायोचित है। भारतमाला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 754-क पैकेज सं०-6 में चैनेज नम्बर 73+800 पर प्रार्थी का आवासीय मकान बना हुआ है जिसका कुछ भाग अवाप्त सुदा भूमि में आने पर भी मकान का मुआवजा नहीं बनाया गया। अन्त में अवाप्त सुदा भूमि में संलग्न एवं प्रभावित समस्त सम्पत्तियों का मुआवजा निर्धारित किया जाने की प्रार्थना की गई।



  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जोधपुर

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर ( 26/2022 ) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष-2 की ओर से अधिवक्ता श्री लादुराम पूनीया ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीपक्ष-3 का नोटिस भी तामीलसुदा प्राप्त हुआ तथा अप्रार्थी-1 का नोटिस रजिस्टर्ड भिजवाया गया। अप्रार्थीपक्ष-1, 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अप्रार्थीपक्ष-2 की ओर से दिनांक 28.06.2022 को प्रारम्भिक आपत्तियां मय जबाब पेश हुआ, जो रिकॉर्ड पर लिया गया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति में बतलाया गया कि प्रार्थी के भूमि अवाप्ति की संरचना का मुआवजा स्वीकार करने के बाद प्रस्तुत किया गया है, इन परिस्थितियों में प्रार्थी का उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के योग्य नहीं है। प्रार्थी की अवाप्त भूमि की संरचना एलएसटी 130 झोपड़ी, टिनशेड, छपर की 4,10,886/- रूपये अवॉर्ड राशि प्रार्थी द्वारा अपने भाई पोककरराम, बंशीलाल पिसरान स्व. कौशलाराम की सहमति से दिनांक 24.12.2021 को ऑनलाईन चैक से भुगतान प्राप्त की है तथा प्रार्थी ने अवाप्त भूमि की संरचना का मुआवजा प्राप्त करने से पूर्व दिनांक 20.09.2021 को इसका कब्जा हस्तान्तरण कर दिया है इसके बाद प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। आपत्ति में आगे बतलाया कि प्रार्थना पत्र में भूमि के अवाप्तसुदा भाग के एलएसटी 130 में रहवासीय मकान अवस्थित नहीं था तथा एलएसटी 130 में केवल और केवल एक झोपड़ी, टिनशेड व छपर था जिसका मुआवजा सही बनाया गया व प्रार्थी ने बिना किसी उजर एतराज के प्राप्त भी कर लिया है।

जबाब में बतलाया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 746 के अवाप्तसुदा भूभाग में क्रम सं० एलएसटी-130 पर केवल एक झोपड़ी, टिनशेड व छपर था जिसका मुआवजा 4,10,886/- रूपये प्रार्थी ने अपने भाई की सहमति से प्राप्त कर लिया है। प्रार्थना पत्र के पद सं०-3, 4, 5, 6, 7, 8 में उल्लेखित तथ्य पूर्णतया गलत बताते हुए कहा कि अवाप्तसुदा भूमि में चैनेज नम्बर 73+800 पर प्रार्थी का आवासीय मकान का हिस्सा आने का तथ्य पूर्णतया गलत एवं मिथ्या कथन किया गया। उक्त तथाकथित रहवासीय मकान ख.नं. 746 में 4 बीघा भूमि अवाप्त करने के बाद शेष रहे रकबा 13 बिस्वा जो मार्गाधिकार से बाहर का भाग है जिसमें प्रार्थी ने टयूबवेल, मकान को अवाप्ति की प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद बनाया गया। पटवारी की रिपोर्ट गलत है। प्रार्थी का रहवासीय ढाणी का कॉर्नर भारतमाला परियोजना के लिये अवाप्त भूमि में आने के तथ्य भी मिथ्या व गलत है। जबाब में यह भी बतलाया कि अवाप्तसुदा भूमि खसरा संख्या 746 की बची 13 बिस्वा भूमि जो मार्गाधिकार के बाहर की होने से मुआवजा निर्धारण करने का प्रावधान नहीं है। अन्त में प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रार्थीपक्ष की ओर से जबाबुलजबाब भी प्रस्तुत हुआ जिसमें बतलाया कि एलएसटी 130 पर झोपड़ी टिनशेड की राशि प्राप्त करना स्वीकार है परन्तु उक्त संरचना के पास





कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जोषपुर

एक पुराना मकान बना हुआ है जो आज से 20-25 वर्ष पूर्व बनाया था यह मकान भारतमाला परियोजना से बन रही रोड़ से पूर्णत प्रभावित है तथा मकान का मुख्य दरवाजा रोड़ की तरफ खुलता है तथा रोड़ बनाने से अपूर्णत बन्द हो गया है एवं वर्षा के मौसम में रोड़ का पूरा पानी मकान के अन्दर घुस जाता है एवं ऐसी स्थिति में उक्त मकान को तोड़कर दूसरी जगह पुनः स्थापित किया जाना आवश्यक है। उक्त मकान का मुआवजा नहीं दिया है। जबाबबुल जबाब में यह भी बतलाया कि अवाप्तसुदा भूमि में चैनेज 73+800 पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है चाहे तो इसकी जांच करवा सकते हैं तथा खसरा नम्बर 746 में 4 बीघा भूमि अवाप्त की गई तथा शेष रही 13 बिरवा भूमि में प्रार्थी का ट्यूबवेल बना हुआ है जो पूर्णतया अनुपयोगी हो गया है व शेष भूमि प्रार्थी के उपयोग एवं उपभोग में नहीं आ सकती, ना ही ट्यूबवेल का स्थानान्तरित किया जा सकता है। विशेष कथन में यह भी कहा कि जब मौके पर सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया तो मकान का कुछ भाग रोड़ की सीमा में आ रहा है तथा मकान को तोड़ने के लिए मकान के उपर मार्किंग कर दी गई है। अपने जबाबुलजबाब में यह भी कहा कि अप्रार्थीपक्ष द्वारा अन्य व्यक्ति चम्पालाल पुत्र किशनाराम निवासी सियोल नगर क खसरा नम्बर 648/1 के एलएसटी नम्बर 121ए, चैनेज नं. 71+990 पर एक मकान, झौपड़ी ट्यूबवेल अवाप्त भूमि से बाहर बना होने एवं भूराराम पुत्र इसराराम निवासी सियोलनगर के ख.नं. 648/2 के एलएसटी नम्बर 120 चैनेज नं. 71+690 पर टांका व एलएसटी 120ए चैनेज नं. 71+330 पर मकान झौपड़ी व स्नानघर जो रोड़ के पास बने हुए है फिर भी इनको मुआवजा दिया गया लेकिन प्रार्थी की ट्यूब वेल एवं मकान रोड़ से प्रभावित होने के बावजूद मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अन्त में अवाप्तसुदा भूमि में आये हुए रहवासीय मकान एवं ट्यूब वेल का मुआवजा देने की इस्तदुआ की।

प्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां पेश हुई।

- 1- दस्तावेज प्रमाणित प्रति जो सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां जिला जोधपुर द्वारा परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 188 उम्मेद हेरिटेज जोधपुर को लिखा पत्रांक 496 दिनांक 13.11.2019 मय भूमि अवाप्ति मुआवजा निर्धारण अवॉर्ड आदेश दिनांक 13.11.2019 को जारी किया गया।
- 2- दस्तोवज प्रमाणित प्रति नोटिस दिनांक 27.012020 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां जिला जोधपुर द्वारा कोलाराम पुत्र अनाराम जाट को संरचना का मुआवजा बाबत् जारी किया गया।




  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जोधपुर

- 3-- दस्तोवज फोटो प्रति नोटिस दिनांक 13.11.19 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां जिला जोधपुर द्वारा कोलाराम पुत्र अनाराम जाट को अवाप्त भूमि का मुआवजा बाबत् जारी किया गया।
- 4-- दस्तावेज प्रमाणित प्रति जो सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां जिला जोधपुर द्वारा परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 188 उम्मेद हेरिटेज जोधपुर को लिखा पत्रांक 827 दिनांक 24.08.2020
- 5-- दस्तावेज प्रमाणित प्रति मौका रिपोर्ट दिनांक 15.08.2020 जो हलका पटवारी द्वारा तैयार की गई।
- 6-- दस्तावेज प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 13.06.2020 जो प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) को दिया गया।
- 7-- दस्तावेज की फोटो प्रति जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां जिला जोधपुर द्वारा संरचना का दिया गया।
- 8-- ग्राम सियोलनगर की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 खाता सं0 122 की फोटो प्रति
- 9-- दस्तावेज फोटो प्रति जमाबंदी खाता सं0 122 वर्ष 2075 से 2078 ग्राम लक्ष्मणनगर तहसील बापिणी
- 10-- गुगल मैप मय फोटोग्राफ्स

अप्रार्थीपक्ष-2 की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां पेश हुई। :

- 1-- दस्तावेज फोटो प्रति प्रार्थना-पत्र जो प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) को मुआवजा का भुगतान करने हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 2-- दस्तावेज फोटो प्रति बाबत् सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) कार्यालय की कार्यालय टिप्पणी। एलएसटी-130 स्थित संरचना का विवरण
- 3-- दस्तावेज फोटो प्रति बाबत् मुआवजा भुगतान हेतु अंतिम प्रतिवेदन
- 4-- दस्तोवज फोटो प्रति बाबत् संरचना कब्जा हस्तान्तरण प्रपत्र
- 5-- दस्तावेज फोटो प्रति प्रार्थी भंवरलाल का शपथ पत्र



  
 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
 जोधपुर

प्रार्थीपक्ष एवं अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा प्रार्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस भी प्रस्तुत हुई

प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि भारतमाला परियोजना के निर्माण के लिए जोधपुर जिले की तहसील क्षेत्र बापिणी के ग्राम सियालनगर के खसरा नम्बर 746 रकबा 0. 7002 हेक्टर भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अवाप्त कर भूमि का मुआवजा निर्धारण 6,18,841/- रुपये, अवाप्त भू-भाग में निर्मित संरचना का 4,10,886 रुपये तय किया गया तथा । बहस में आगे कहा कि उक्त खसरा में अवाप्तसुदा भाग के पश्चात् प्रार्थी के पास 13 बिस्वा भूमि बचती है जिसमें एक नलकूप बना हुआ है। बहस में यह भी कहा कि अवाप्तसुदा भूमि में बनी संरचना झौपड़ी, टीनशेड, छप्पर इत्यादि का मुआवजा तो तय कर दिया गया, परन्तु इसी खसरे में प्रार्थी का बना पक्का मकान का कुछ भाग रोड़ सीमा में आने से कट रहा है फिर भी उसका मुआवजा तय नहीं किया गया सथा शेष भूमि 13 बिस्वा एवं उसमें बना नलकूप जो अब प्रार्थी के उपयोग या उपभोग में नहीं आ रहा है उसका मुआवजा प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) को एक प्रार्थना पत्र उक्त भूमि का मौका मुआयना करने का प्रस्तुत करने पर उक्त अधिकारी के आदेश पर हलका पटवारी को मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की गई। हलका पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट में ख.नं. 746 की भूमि में से प्रस्तावित भारतमाला परियोजना हेतु अवाप्ताधीन भूमि में प्रार्थी की रहवासीय ढाणी का कॉर्नर होना बताया। बहस में आगे कहा कि प्रस्तावित भारतमाला परियोजना हेतु उक्त भूमि अवाप्त की गई भूमि पर जब मौके पर कार्य शुरू किया गया तो मकान का कुछ भाग रोड़ की सीमा में आ रहा है जिसके मकान को तोड़ने के लिए मकान के उपर सार्किंग कर दी गई है तथा रोड़ निकालने के लिए मकान तोड़ा जायेगा

अप्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि प्रार्थी के भूमि अवाप्ति की संरचना का मुआवजा स्वीकार करने के बाद प्रस्तुत किया गया है, इन परिस्थितियों में प्रार्थी का उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के योग्य नहीं है। प्रार्थी की अवाप्त भूमि की संरचना एलएसटी 130 झौपड़ी, टिनशेड, छप्पर की 4,10,886/- रुपये अवॉर्ड राशि प्रार्थी द्वारा अपने भाईयों की सहमति से दिनांक 24.12.2021 को ऑनलाईन चैक से भुगतान प्राप्त की है तथा प्रार्थी ने अवाप्त भूमि की संरचना का मुआवजा प्राप्त करने से पूर्व दिनांक 20.09.2021 को इसका कब्जा हस्तान्तरण कर दिया है इसके बाद प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। आपत्ति में आगे बतलाया कि प्रार्थना पत्र में भूमि के अवाप्तसुदा भाग के एलएसटी 130 में रहवासीय मकान अवस्थित नहीं था तथा एलएसटी 130 में मात्र एक झौपड़ी, टिनशेड व छप्पर था जिसका मुआवजा सही बनाया गया व प्रार्थी ने बिना किसी उजर एतराज के प्राप्त किया है। बहस में आगे कहा कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 746 अवाप्तसुदा



कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जोधपुर


भूमि मे चैनेज नम्बर 73+800 पर प्रार्थी का आवासीय मकान का हिस्सा आने का तथ्य पूर्णतया गलत एवं मिथ्या कथन है। उक्त तथाकथित रहवासीय मकान ख.नं. 746 में 4 बीघा भूमि अवाप्त करने के बाद शेष रहे रकबा 13 बिस्वा जो मार्गाधिकार से बाहर का भाग है जिसमें प्रार्थी ने टयूबवेल, मकान को अवाप्ति की प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन के बाद बनाया गया। पटवारी की रिपोर्ट भी गलत है। प्रार्थी का रहवासीय ढाणी का कॉर्नर भारतमाला परियोजना के लिये अवाप्त भूमि में आने के तथ्य भी मिथ्या व गलत है। अवाप्तसुदा भूमि खसरा संख्या 746 की बची 13 बिस्वा भूमि जो मार्गाधिकार के बाहर की होने से मुआवजा निर्धारण करने का प्रावधान नहीं है। अन्त में प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र में उसकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 746 की भूमि अवाप्त होने के पश्चात् शेष रही 13 बिस्वा भूमि मय नलकूप का उपयोग व उपभोग नहीं होने से व अवाप्ताधीन भूमि में रहवासीय मकान का कुछ भाग आने से वो मकान रहने लायक नहीं होने से मुआवजा की मांग की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1954 की धारा 3G की उपधारा (7) के अनुसार—  
The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section(1) or sub-section (5), as case may be, shall take into consideration-

- (a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;
- (b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the severing or such land from other land;
- (c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property, in any manner, or his earnings;
- (d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

प्रार्थीपक्ष की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 746 भूमि में से भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अवाप्त करने के पश्चात् शेष रही 13 बिस्वा भूमि मय उसमें बना नलकूप प्रार्थी के उपयोग एवं उपभोग नहीं आने से उसका भी मुआवजा दिया जाना आवश्यक व न्यायोचित हो, इस बाबत प्रार्थीपक्ष द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है इसके अतिरिक्त ख.नं. 746 में प्रार्थी का रहवासीय ढाणी का कॉर्नर अवाप्त भूमि में आने से मकान के क्षतिग्रस्त होने से मुआवजा देने की मांग की गई, जबकि अप्रार्थीपक्ष का जबाब है कि



  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
जोधपुर

प्रार्थी का मकान अवाप्त भूमि के मार्गाधिकार के बाहर है अतः मार्गाधिकार के बाहर आने वाली संरचना का मुआवजा दिया जाना संभव नहीं है। अप्रार्थीपक्ष का कथन है कि बिना अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थीपक्ष ने अवाप्त भूमि व उसमें निर्मित संरचना का मुआवजा स्वीकार/प्राप्त करने व कब्जा सुपुर्द करने के पश्चात आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, इस कथन से हम सहमत हैं, परिणामस्वरूप प्रार्थीपक्ष का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। आदेश सुनाया गया।



( हिमांशु गुप्ता )

आर्बीट्रेटर

जिला कलेक्टर एवं जिलामजिस्ट्रेट जोधपुर  
**जोधपुर**

यह पंचाट आज दिनांक 10.07.2023 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।



( हिमांशु गुप्ता )

आर्बीट्रेटर

जिला कलेक्टर एवं जिलामजिस्ट्रेट जोधपुर  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
**जोधपुर**

